UPRN010039392026

न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/त्वरित न्यायालय(14 वाँ वित्त आयोग),
रमाबाई नगर(कानपुर देहात)।

जमानत प्रार्थनापत्र सं०–1526/2026

आकाश पुत्र रामगोपाल दुबे उम्र लगभग 23 वर्ष निवासी ग्राम मुहपोछा, थाना–शिवराजपुर, जिला–कानपुर नगर।

...........आवेदक/अभियुक्त।

बनाम

उत्तर प्रदेश सरकार **...............अभियोजन पक्ष।**

मु०अ०सं०–120/2026
धारा–331(4),305,317(2) बी०एन०एस०।
थाना–चौबेपुर,जिला–कानपुर नगर।

दिनांक–17.07.2026

आवेदक/अभियुक्त आकाश की ओर से जमानत प्रार्थनापत्र मु०अ०सं० –120/2026, अन्तर्गत धारा–331(4),305,317(2) बी०एन०एस०, थाना–चौबेपुर, जिला–कानपुर नगर के मामले में जमानत हेतु प्रस्तुत किया गया है, जो रमेशचन्द्र बाजपेयी पुत्र करूणा शंकर बाजपेयी के शपथपत्र से समर्थित है।

जमानत प्रार्थनापत्र के निस्तारण हेतु संक्षेप में अभियोजन कथानक इस प्रकार है कि वादी मुकदमा पंकज कुमार पुत्र पुत्तनलाल कस्बा चौबेपुर, थाना–चौबेपुर, जिला–कानपुर नगर का निवासी है। वादी मुकदमा द्वारा दिनांक–15.04.2026 को समय करीब 22:39 बजे प्रथम सूचना रिपोर्ट इस आशय की पंजीकृत करायी गयी कि दिनांक–14.04.2026 को दिन मंगलवार की रात उसकी दुकान में चोरी हो गयी। उसकी ज्वैलर्स की दुकान है जिसमें तोड़िया, बिछिया व गलने वाली चाँदी चोरी हो गयी।

आवेदक/अभियुक्त की ओर से जमानत प्रार्थनापत्र मय शपथपत्र मुख्य रूप से इस आशय का प्रस्तुत किया गया है कि अभियुक्त निर्दोष है तथा थाना हाजा की पुलिस द्वारा अच्छा कार्य दिखाने के लिये अभियुक्त बनाया गयाा है। आवेदक/अभियुक्त द्वारा कोई घटना कारित नहीं की गयी है बल्कि मु०अ०सं०–138/2026 में गिरफ्तारी दिखाकर अभियुक्त पर धारा –3/25 आर्म्स एक्ट का मुकदमा लगाकर थाना हाजा पर अन्य अज्ञात में दर्ज पाँच मुकदमें में अभियुक्त बना दिया गया है। आवेदक/अभियुक्त के पास से फर्द बरामदगी के आधार पर दौ सौ पचास रूपये मिलने का जिक्र किया गया है। आवेदक/अभियुक्त दिनांक–03.05.2026 से जिला कारागार कानपुर देहात में निरूद्ध है। प्रस्तुत मुकदमें में सहअभियुक्तों की जमानत इस न्यायालय द्वारा स्वीकार हो चुकी है। आवेदक/अभियुक्त का यह प्रथम जमानत प्रार्थनापत्र है इसके अलावा किसी न्यायालय अथवा उच्च न्यायालय में विचाराधीन नहीं है। आवेदक/अभियुक्त जमानत पर रिहा होने पर जमानत का दुरूपयोग नहीं करेगा तथा न्यायालय के आदेशों का पालन करेगा। अतः आवेदक/अभियुक्त को दौरान मुकदमा जमानत पर रिहा किया जाये।

सम्बन्धित थाने से जमानत प्रार्थनापत्र के संबंध में प्रस्तरवार आख्या प्राप्त हुयी।

राज्य की ओर से विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता(फौजदारी) द्वारा जमानत प्रार्थनापत्र का विरोध करते हुये तर्क दिया गया है कि अभियुक्त के कब्जे से मु०अ०सं० –138/2026 से संबंधित एक अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर बरामद हुआ है। अभियुक्त के कब्जे से चोरी किये गये ज्वैलरी के बिक्री के रूपये तथा थाना हाजा पर पंजीकृत मु०अ०सं०–67/2026 धारा–331(4),305 बी०एन०एस० से संबंधित चोरी किये गये एच०पी० कम्पनी के भरे हुये गैस

क्रमशः पेज सं०–2 पर

Digitally signed by ANAND PRIYA GAUTAM
Date: 2026.07.17 16:07:50 IST
Reason: Bail.
Location: Add.District and Sessions Court/FTC(14th.Fin.Comm)

सिलेण्डर बरादमद हुये है। यदि अभियुक्त को जमानत पर रिहा किया गया तो वह जमानत की शर्तों का दुरूपयोग करेगा तथा समय से न्यायालय हाजिर नहीं होगा। अतः आवेदक/अभियुक्त की जमानत का घोर विरोध किया गया।

मैंने जमानत प्रार्थनापत्र पर आवेदक/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता एवं विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता(फौजदारी) की जमानत प्रार्थनापत्र पर बहस सुनी तथा पत्रावली पर उपलब्ध अभियोजन प्रपत्रों का सम्यक् अवलोकन किया।

पत्रावली के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि प्रस्तुत मामले की प्रथम सूचना रिपोर्ट अज्ञात चोर के विरूद्ध धारा–305, 331(4) बी०एन०एस० के अन्तर्गत पंजीकृत करायी गयी है। दौरान विवेचना अभियुक्त आकाश का नाम प्रकाश में आया है। प्रस्तुत मामले से संबंधित माल को विक्रय करने के उपरान्त अभियुक्त के हिस्से में आयी धनराशि में से उसके कब्जे से दौ सौ पचास रूपये बरामद होना पाया जाता है। संबंधित थाने से प्राप्त अभियुक्त आकाश की सी०सी०टी०एन०एस० कैस रिपोर्ट दिनांकित–14.07.2026 के अनुसार अभियुक्त के विरूद्ध प्रस्तुत मामले के अतिरिक्त थाना–चौबेपुर में अभियुक्त के विरूद्ध पंजीकृत मु०अ०सं० –367/2025 धारा–115(2), 309(4), 317(2) बी०एन०एस०, मु०अ०सं०–67/2026 धारा–112 (2), 305, 317(2), 317(4), 317(5), 331(4) बी०एन०एस०, मु०अ०सं०–74/2026 धारा–112 (2), 305, 317(2), 317(4), 317(5), 324(4), 331(4) बी० एन० एस० एवं मु०अ०सं०–138/ 2026 धारा–3/25 आर्म्स एक्ट के मुकदमें पंजीकृत होना पाये जाते हैं, जो सन् 2025 व 2026 के हैं। अभियोजन पक्ष द्वारा अभियुक्त के किसी मामले में दोषसिद्धि के संबंध में कोई प्रपत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है। अभियुक्त प्रस्तुत मामले में दिनांक–03.05.2026 से जिला कारागार कानपुर देहात में निरूद्ध है। प्र स्तुत मामले में जरिये आरोप–पत्र विवेचना समाप्त की जा चुकी है तथा अभियुक्त के विरूद्ध धारा – 331(4), 305, 317(2) बी०एन०एस० के तहत आरोप–पत्र न्यायालय में प्रेषित किया गया। अतः उपरोक्त सम्पूर्ण विवेचना तथा प्रस्तुत मामले के तथ्यों व परिस्थितियों पर विचार करने के उपरान्त न्यायालय इस मत की है कि मुकदमें के गुणदोष पर कोई राय व्यक्त किये बिना अभियुक्त दौरान मुकदमा जमानत पर रिहा किये जाने योग्य है।

<u>आदेश</u>

आवेदक/अभियुक्त आकाश की ओर से मु०अ०सं०–120/2026, अन्तर्गत धारा–331 (4), 305, 317(2) बी०एन०एस०, थाना–चौबेपुर, जिला–कानपुर नगर के मामले में प्रस्तुत जमानत प्रार्थनापत्र स्वीकार किया जाता है। आवेदक/अभियुक्त द्वारा मु०–50,000/–रू०(पचास हजार रूपये) का व्यक्तिगत बंधपत्र तथा समान धनराशि के दो सक्षम प्रतिभू संबंधित मजिस्ट्रेट की संतुष्टि पर एवं निम्न आशय का अण्डरटेकिंग दाखिल करने पर उसे दौरान मुकदमा जमानत पर रिहा किया जायेः–

(1). कि वह विचारण में न्यायालय का सहयोग करेगा। आरोप विरचित किये जाने के समय, धारा–313 के बयान अंकित करने की तिथि एवं निर्णय की तिथि पर व्यक्तिगत रूप से उपस्थित रहेगा। यदि न्यायालय किसी भी स्तर पर यह पाता है कि अभियुक्त जानबूझकर अथवा बिना पर्याप्त कारण के अनुपस्थित हो रहा है तो उस स्थिति में न्यायालय जमानत के व्यतिक्रम का मामला मानते हुये उसके विरुद्ध विधि अनुसार कार्यवाही करने के लिये स्वतन्त्र होगा।

(2). कि वह प्रत्येक नियत तिथि को स्वयं अथवा जरिये अधिवक्ता न्यायालय में उपस्थित रहेगा।

(3). कि वह किसी साक्षी को डरायेगा व धमकायेगा नहीं और न ही किसी साक्ष्य को प्रभावित करेगा।

(4). कि वह जमानत पर रिहा होने के उपरान्त किसी प्रकार का कोई अपराध कारित नहीं करेगा।

<u>दिनांक–17.07.2026</u>

अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/
त्वरित न्यायालय(14 वाँ वित्त आयोग)
रमाबाई नगर(कानपुर देहात)।